

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी—

कैलाश चन्द्र शर्मा  
आर.ए.एस.  
तारीख निर्णय  
14.08.2019

मिसल नम्बर  
25/2019/प्रा.पत्र/2019

तारीख दायरा  
06.05.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक  
..... प्रार्थी

बनाम

- 1- श्री उत्तम चन्द जैन पुत्र भागचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स रिद्धि सिद्धी एजेन्सी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं० माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक
- 2- मैसर्स रिद्धि सिद्धी एजेन्सी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक
- 3- श्री भूरसिंह राजपुरोहित निवासी 291 पुरोहितो की ढाणी थोब ओसिया जोधपुर प्रोपरायटर मैसर्स भगवती गृह उधोग नांगल जैसा बोहरा दादी का फाटक झोटवाडा जयपुर राज०
- 4- मैसर्स भगवती गृह उधोग नांगल जैसा बोहरा दादी का फाटक झोटवाडा जयपुर राज०

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा०सु०अ० स्वयं।
- 2-अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 14.08.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.10.2018 को समय 2.25 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स रिद्धि सिद्धी एजेन्सी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। एफ.बी.ओ. की हैसियत से श्री उत्तम चन्द जैन पुत्र भागचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स रिद्धि सिद्धी एजेन्सी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं० माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में प्रोपरायटरी फूड सोन पपडी भगवती मूल पैक (Proprietary Food Soan Papdi Bhagwati Original Pack) जिसके बैच नं. अनुपस्थित व पैकिंग दिनांक अक्टूबर 2018 अंकित थी, रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर एफ.बी.ओ. श्री उत्तम चन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वारते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता उत्तम चन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में रखे 400-400 ग्राम के 30 पैकेट के 4 कार्टून प्रोपरायटरी फूड सोन पपडी भगवती मूल पैक (Proprietary Food Soan Papdi Bhagwati Original Pack) में से एक कार्टून को खोलकर 400-400 ग्राम के ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड 4 मूल पैक का चयन कर वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये में से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ. बी.ओ. श्री. उत्तम चन्द जैन को रू० 180/- अक्षरे एक सो अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक



आवेदक द्वारा खरीदशुदा प्रोपरायटरी फूड सोन पपडी भगवती मूल पैक (Proprietary Food Soan Papdi Bhagwati Original Pack) 400-400 ग्राम के 4 नग के बराबरा चार भाग तैयार कर चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे अलग-अलग ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड रखकर डिब्बो के डक्कन को एयर टाईट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2030 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2030 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. उत्तम चन्द जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना क्य करते समय श्री उत्तम चन्द जैन ने मौके पर प्रोपरायटरी फूड सोन पपडी भगवती मूल पैक (Proprietary Food Soan Papdi Bhagwati Original Pack) बतोर वारन्टी मैसर्स भगवती गृह उद्योग नांगल जैसा बोहरा दादी का फाटक झोटवाडा जयपुर राज0का बिल क्रमांक/ इन्वॉइस नं. 730 दिनांक 30.10.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/119 दिनांक 11.01.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1990/एक्ट/2018/642 दिनांक 27.12.2018 अनुसार उत्तम चन्द जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया प्रोपरायटरी फूड सोन पपडी भगवती मूल पैक (Proprietary Food Soan Papdi Bhagwati Original Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का प्रोपरायटरी फूड सोन पपडी भगवती मूल पैक (Proprietary Food Soan Papdi Bhagwati Original Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस प्रोपरायटरी फूड सोन पपडी भगवती मूल पैक (Proprietary Food Soan Papdi Bhagwati Original Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया प्रोपरायटरी फूड सोन पपडी भगवती मूल पैक (Proprietary Food Soan Papdi Bhagwati Original Pack) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी श्री उत्तम चन्द जैन पुत्र भागचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टॉक



५१

रिद्धि सिद्धी एजेन्सी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं० माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक पर शास्ती 3,000/- (अक्षरे तीन हजार रू०) अप्रार्थी श्री भूरसिंह राजपुरोहित निवासी 291 पुरोहितो की ढाणी थोब ओसिया जोधपुर प्रोपरायटर मैसर्स भगवती गृह उधोग नांगल जैसा बोहरा दादी का फाटक झोटवाडा जयपुर राज० पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.08.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज०